सीएसआईआर-केंद्रीय सडक अनुसंधान संस्थान

राजभाषा अनुभाग

सं. 20-1/15/22-राभा. दिनांक 26.10.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय - संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 111वीं तिमाही बैठक का कार्यवृत्त ।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही बैठक संस्थान के निदेशक, प्रो. मनोरंजन परिड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 18/10/2022 को अपराह्न 03.30 बजे संस्थान के परिषद कक्ष में हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए -

1.	प्रो. मनोरंजन परिड़ा, निदेशक, सीआरआरआई	अध्यक्ष
2.	डॉ. अंबिका बहल, प्रमुख, सुनम्य कुट्टिम (एफपी)	सदस्य
3.	डॉ. पंकज गुप्ता, प्रमुख, भूतकनीकी अभि. (जीटीई)	सदस्य
4.	श्री ए. के. सागर, प्रमुख, कुट्टिम मूल्यांकन (पीई)	सदस्य
5.	श्री दिनेश वी गणवीर, प्रमुख, दृढ़ कुट्टिम (आरपी)	सदस्य
6.	श्री पी.वी. प्रदीप कुमार, प्रभागीय प्रमुख, पीएमई	सदस्य
7.	श्री एस. मरियप्पन, प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन	सदस्य
8.	श्री ए.के. जैन, प्रमुख, अनुरक्षण प्रभाग	सदस्य
9.	श्री नितेश कुमार, वित व लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	श्री विरंची सारंग, प्रशासन अधिकारी	पदेन सदस्य
11.	श्री संजय पी.मेहता, अनुभाग अधिकारी, क्रय	पदेन सदस्य
12.	श्री संजीव यादव, अनुभाग अधिकारी, भंडार	पदेन सदस्य
13.	श्री एस एस गहरवार, वरि.प्रधान वैज्ञानिक	आमंत्रित सदस्य
14.	डा. चालूमुरी रविशेखर, टीपीई	प्रतिनिधि
15.	श्री सुबोध कुमार, आईएलटी	प्रतिनिधि
16.	श्रीमती मिताली, केआरसी	प्रतिनिधि
17.	श्री संजय चौधरी, हिंदी अधिकारी	सदस्य सचिव
18.	प्रमुखों द्वारा नामित अन्य सदस्य	

प्रमुख, बीईएस; प्रमुख, टीईएस; प्रमुख, एमबीएसक्यू व बागवानी; प्रभारी, एमबीएसक्यू; श्री मुकेश कुमार, अभियंता प्रभारी; श्री सुनील जैन, वरि.प्रधान वैज्ञानिक; भंडार व क्रय अधिकारी; अनुभाग अधिकारी, स्था. 1 व स्था 2; अनुभाग अधिकारी, कार्मिक; अनुभाग अधिकारी, सतर्कता; अनुभाग अधिकारी, वित्त व लेखा छुट्टी पर होने या अन्य कारण से बैठक में शामिल नहीं हो सके। टीपीई; आईएलटी; केआरसी प्रभागों के प्रतिनिधि बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में सर्वप्रथम राकास के अध्यक्ष प्रो. मनोरंजन परिड़ा ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात सदस्य सचिव ने बैठक की कार्यसूची की मदों को क्रमशः प्रस्तुत किया।

मद सं. 1 बैठक में सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली तिमाही बैठक दिनांक 06.07.2022 को हुई। इसका कार्यवृत्त सभी सदस्यों को जारी किया गया था। कार्यवृत्त के बारे में कोई प्रतिकूल या संशोधन टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। समिति के द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
तत्पश्चात पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में की गई कारवाई पर मदानुसार प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। उन पर क्रमशः चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

<u>मद संख्या 1.1</u> सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थान में भारत सरकार के सभी निदेशों व अनुदेशों का पालन किया जाता है। संस्थान के कम्प्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने संबंधी सुविधा की उपलब्धता पर चर्चा की गई। समिति को अवगत कराया गया कि 23.09.22 की संपर्क कार्यशाला में वॉयस टाइपिंग का प्रशिक्षण दिया गया। निदेशक महोदय ने इस प्रशिक्षण को सभी प्रमुखों के लिए दुबारा आयोजित करने का सुझाव दिया जिसमें संसदीय समिति के आश्वासनों एवं हिंदी में कार्यवृद्धि के उपायों पर चर्चा की जा सकती है।

<u>कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग</u>

<u>मद संख्या 2.</u> बैठक में संस्थान की अप्रैल से जून 2022 तिमाही की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट के आँकड़े प्रस्तुत किए गए। समिति ने पाया कि निर्धारित तिथि के बाद भी स्था.-2 अनुभाग ने रिपोर्ट नहीं भेजी है तथा पीईडी व सतर्कता अनुभाग के आँकड़े, हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य से काफी कम हैं। कुछ प्रभागों के आंकड़ों में तालमेल के अभाव पर भी चर्चा की गई। निदेशक महोदय ने संबंधित प्रभागों से हिंदी में कार्य बढाने, रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक भरने तथा निर्धारित अवधि में रिपोर्ट भेजने का निदेश दिया। सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थान की तिमाही रिपोर्ट से संस्थान की छवि निर्धारित होती है। अतः, राजभाषा हिंदी के नियमों के अनुसार ही हिंदी में अधिकाधिक कार्य करना अपेक्षित है। संस्थान की पिछली तिमाही रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त समीक्षा पत्रों पर भी चर्चा की गई। समिति ने 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में 100% हिंदी में पत्र भेजने के लिए सभी प्रमुखों एवं उच्च अधिकारियों को प्रयास करने के लिए कहा।

<u>कार्रवाई.. प्रमुख (पीईडी एवं सतर्कता); अनु.अधिकारी, स्था.-2; सभी प्रमुख व हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी</u>

<u>मद सं 3</u> राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों पर चर्चा के दौरान सदस्य सचिव ने बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन में प्रगति के लिए लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार धारा 3(3) में द्विभाषिकता का पालन तथा 'क' व 'ख' क्षेत्रों को हिंदी में पत्र भेजना अनिवार्य है। संस्थान की वेबसाइट की द्विभाषिकता पर चर्चा की गई। सदस्य सचिव ने बताया कि हमारी साइट द्विभाषी है तथा यहां राजभाषा गतिविधियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। हिंदी में प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट, न्यूजलेटर, हिंदी पत्रिका 'सड़क दर्पण', हिंदी में प्रकाशित लेखों की सूची, सम्मेलनों एवं जरनलों के सभी प्रकाशनों का विवरण आदि हिंदी में उपलब्ध हैं। संस्थान की वेबसाइट पर दाईं ओर 'हिंदी' चुन कर पूरी साइट हिंदी में देखी जा सकती है तथा इसे बड़े आकार में देखने की सुविधा भी है। सीसीएन को वेबसाइट के लिए दी जाने वाली हर सामग्री द्विभाषी होनी चाहिए। समिति ने वेबसाइट के अपडेशन और द्विभाषीकरण को आवश्यक बताया।

<u>कार्रवाई.. सभी प्रमुख, सभी जांचबिंदु</u>

<u>मद सं 3.1</u> बैठक में संस्थान की राजभाषा गतिविधियों की विविधता बनाए रखने पर चर्चा की गई। निदेशक महोदय ने कहा कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यक्रम रखे जाने चाहिए। सदस्य सचिव ने सड़क शोधपत्र संकलन 2022 के प्रकाशन से संबंधित याजना की जानकारी दी। निदेशक महोदय ने बताया कि आईआरसी का एक डॉक्युमेंट भी हिन्दी में बनाया जाना है। इसे हिंदी में तैयार करके प्रकाशित किया जाएगा। हिंदी अधिकारी ने इसका शीघ्र अनुवाद करने का आश्वासन दिया। समिति को बताया गया कि हर तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। टेबल (संपर्क) कार्यशाला के दौरान सभी प्रभाग के प्रमुखों एवं सभी स्टाफ सदस्यों को बताया गया है कि परियोजना रिपोर्ट एवं अन्य तकनीकी दस्तावेजों के कवर पेज, प्रस्तावना (फोरवर्ड), विषयसूची, आभार, अस्वीकरण (डिस्क्लेमर), सारांश (एब्सट्रैक्ट) को द्विभाषी रखा जाना चाहिए। प्रमुखों को इसके लिए गंभीर एवं प्राथमिकतापूर्ण प्रयास करने चाहिए। ऐसे सभी द्विभाषी रिपोर्ट की जानकारी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के 'अन्य राजभाषायी उपलब्धियों' के अंतर्गत दी जानी चाहिए।

<u>कार्रवाई.. सभी प्रमुख, परियोजना प्रमुख</u>

जारी 3

<u>मद सं 4</u> बैठक में नराकास, द 1-दि.के पिछले बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा की गई। समिति को नराकास के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन तथा संस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी दी गई। सदस्य सचिव ने बताया कि भविष्य में संस्थान की उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए हिंदी स्टाफ की आवश्यकता है। हिंदी अनुवादक के त्यागपत्र देने के कारण अनुभाग में स्टाफ कम हो गया है तथा वर्तमान में कोई टाइपिस्ट नहीं है। राजभाषा कार्यान्वयन के महत्व को देखते हुए निदेशक महोदय ने आवश्यक उपाय करने के लिए कहा। सदस्य सचिव ने बताया कि भविष्य में नराकास के स्तर पर विश्व हिंदी दिवस ई-गोष्ठी तथा एक हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन करना प्रस्तावित है। निदेशक महोदय ने नराकास के कार्यालयों के लिए 'सड़क सुरक्षा' अथवा 'स्वच्छता अभियान' विषयों पर डिजिटल पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता रखने का सुझाव दिया।

<u>कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग व प्रशासन अधिकारी</u>

<u>मद सं 5</u> बैठक में संस्थान की राजभाषा संबंधी गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की गई। समिति ने संस्थान की हिंदी वेबसाइट के अद्यतनीकरण के उत्तम कार्य को सीसीएन प्रभाग की ओर से भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता बताई। सदस्य सचिव ने बताया कि संस्थान की हिंदी गृह पत्रिका 'सड़क दर्पण' का अगला अंक संयुक्तांक के रुप में प्रकाशित हो रहा है। सड़क अभियांत्रिकी शब्दावली के प्रारुप को प्रभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम रूप देकर शीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। इस तिमाही में हिंदी कार्यशाला के अतिरिक्त तकनीकी प्रस्तुतीकरण का एक कार्यक्रम रखना भी प्रस्तावित है।

<u>कार्रवाई.. राजभाषा अनुभाग; प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन एवं सभी प्रभागीय प्रमुख</u>

बैठक का उपर्युक्त कार्यवृत्त सभी संबंधितों को निदेशक महोदय के अनुमोदन से सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है ।

(संजय चौधरी)
हिंदी अधिकारी व
सदस्य सचिव, राकास

सेवा में –

1. निदेशक महोदय के निजी सचिव – सूचनार्थ
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य – सूची के अनुसार
3. सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख
4. प्रमुख, सीसीएन – इंट्रानेट व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि –

1. वरिष्ठ हिंदी अधिकारी, सीएसआईआर, नई दिल्ली
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/कार्यवाहक निदेशक/वरि हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/प्रभारी
3. उपनिदेशक, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालय, ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली
4. कार्यालय प्रति